(491)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(55)नवि/3/2002 जयपुर दिनांक: 29 AUG 2006

–: आदेश :–

राजस्थान नगर विकास (शहरी भूमि निष्तारण) नियम 1974 के नियम 7(1) में शहरी जमाबन्दी आरक्षित दर पर लिए जाने के प्रावधान है। उक्त नियम के परन्तुक में, नियम 18 के अन्तर्गत भूमि आवंटन के मामलें में राज्य सरकार द्वारा मेरिट के आधार पर शहरी जमाबन्दी किन्हीं शर्तो, दर पर निर्धारित की जा सकती है।

पब्लिक एवं चेरीटेबल संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी नीति परिपत्र क्रमांक 3(55) नवि/3/02 दिनांक 14.02.05 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आने वाले प्रकरणों के संबंध में परीक्षण कर निर्णय लिये जाने हेतु गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने अपनी बैठक दिनांक 05.07.06 में रियायती दर पर भूमि आवंटन के मामलों में आवंटन दर पर ही लीज राशि लिये जाने एवं इस हेतु सामान्य आदेश द्वारा प्रावधान किए जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः रियायती दर पर भूमि आवंटन के समस्त प्रकरणों में इस आदेश के पश्चात् आवंटन दर पर ही लीज राशि देय होगी। उक्त तिथि से पूर्व नियमानुसार जो दर ली जा रही थी वही वसूल की जायेगी।

आज्ञा से
(signature)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– निजी सचिव, माननीय गृह मंत्री,राजस्थान सरकार,जयपुर
2– निजी सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्री,राजस्थान सरकार,जयपुर
3–निजी सचिव, चिकित्साएवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
4–निजी सचिव, राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,जयपुर
5– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग
6– निजी सचिव,शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर
7– निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर
8– सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
9–सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
10–सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)
11–रक्षित पत्रावली

उप विधि परामर्शी